न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 32/2023

कन्हैया लाल पुत्र रेवाचंद जाति सिंधी निवासी साम्बर झील हाल आबाद जयपुर राजस्थान

अपीलांट

बनाम

1. युनस अली पुत्र सखी उर्फ हकीम कौम मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. आशिक अली पुत्र सखी उर्फ हकीम कौम मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व संगरिया

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 538 दिनांक 18–6–2015 चक 6 डीएलपी तहसील संगरिया को अपास्त करने व स्वीकार करने अपील।

उपस्थितः– 1. श्री इन्द्राज गोदारा, सुरेन्द्र सिहाग अभिभाषक अपीलांट।
2. श्रीमती शकुन्तला भाटीवाल अप्रार्थी सं0 01, 02
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

–:निर्णयः–

दिनांकः –08.04.2024

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट के नाम वाके चक 6 डी एल पी मे 4.559 है० खातेदारी थी। जिसमे से अपीलांट ने 1.012 है0 भूमि शेर अली असगरा अली पि0 हकीम अली को दिनांक 23–6–92 को बेय कर दी तथा 1.012 है० भूमि युनस अली पुत्र हकीम अली व आशिक अली पुत्र हकीम अली को बैय कर दी तथा 1.265 है0 भूमि हकीम अली पुत्र सदीक अली को बैय कर दी। उक्त वर्णित तीनो बैयनामो का इन्तकाल भी दिनांक 3–6–1993 को स्वीकृत हो गया था। इन्तकाल स्वीकृत होने के पश्चात सभी सहकाश्तकारान अपने अपने हिस्सा की भूमि पर काश्त कर रहे है। अपीलांट द्वारा पूर्व में किये गये बैयनामे करवाते समय बैयनामो मे किला विशेष का विवरण प्रस्तुत करते हुए बैयनामे निष्पादित करवाये थे परन्तु कानूनन बैयनामो मे अंकित भूमि का इन्तकाल किला विशेष की प्रविष्टि देते हुए नही हो सकता है इसलिए अपीलांट द्वारा बैय की गई भूमि का संयुक्त खाता मे इन्तकाल दर्ज हुआ था। अब रेस्पोडेन्टान संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों को धोखे में रखते हुए राजस्व अभियान के दौरान 18–6–2015 को अपीलांट द्वारा पूर्व मे करवाये गये बैयनामा की नकल उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक हनुमानगढ से प्राप्त कर पुनः इन्तकाल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जिसमे राजस्व कर्मचारियों ने बिना कोई उचित जांच किये दिनांक 23–6–1993 के बैयनामा का दुबारा [illegible] 012 है0 भूमि दुबारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी। अ[illegible] इन्तकाल निम्न आधारो पर काबिल खारिजी के है।

अपीलांट द्वारा दिनांक 23–6–1992 को रेस्पोडेन्[illegible] संख्या 1 व 2 के पक्ष मे करवाये गये बैयनामे का इन्तकाल दिनांक 3–6–1993 को स्वीकृत किया जा चुका था तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे रेस्पोडेन्टान के नाम अमल भी हो चुका था परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:13:04 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

Web Copy - Not Official
Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 23-6-1992 को करवाये गये बैयनामा का पुनः इन्तकाल संख्या 18-6-2015 को कर दिया गया। अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 538 दिनांक 18-6-2015 जालसाजी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बिना कोई सुनवाई व जांच के लगभग 23 साल बाद इन्तकाल स्वीकृत कर दिया जिससे अपीलांट की 1.012 है0 भूमि को कम कर रेस्पोडेन्टान के नाम दर्ज कर अहम विधिक भूल की है अतः अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 538 दिनांक 18-6-2015 काबिल खारिजी के है। अपीलांट जो अपने व्यापार के सिलसिले मे जयपुर रहता है तथा अपनी भूमि हिस्सा ठेके पर रेस्पोडेन्टान को ही देता था तथा रेस्पोडेन्टान समय समय पर हिस्सा मुझ अपीलांट को देते रहे है। अब अपीलांट दिनांक 8-12-2023 को गांव किकरवाली मे नरमा की फसल का हिस्सा ठेका मांगने आया तो रेस्पोडेन्टान ने हिस्सा देने से मना कर दिया व कहा कि उक्त भूमि मे आपका एक ही बीघा शेष रहा है बाकी भूमि अब रेस्पोडेन्टस के नाम से है तथा अपीलांट ने तहसील संगरिया मे जाकर पता किया व अपीलाधीन इन्तकाल आदि की नकल प्राप्त की। दिनाक 16-12-2023 व दिनांक 17-12-2023 को अवकाश होने के कारण अपील प्रस्तुत नही कर पाया आज बिना किसी देरी अदालत हाजा मे अपील प्रस्तुत कर रहा है वैसे भी विधि विरूद्ध पारित आदेश मे मियाद का प्रश्न ही पैदा नही होता है फिर भी किसी प्रकार की कोई कानूनी खामी ना रहे इसके लिए अलग से मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 538 दिनांक 18-6-2015 तहसीलदार राजस्व द्वारा स्वीकृत इन्तकाल को खारिज फरमाये जाने के आदेश फरमाये जावे व अपीलांट की भूमि पुनः अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाय जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट 01, 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट सं0 03 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश 08.12.2023 का ज्ञान उस समय हुआ जब अपीलांट उक्त दिनांक को गांव किकरवाली में नरमा फसल का ठेका मांगने आया तो रेस्पोडेन्ट ने हिस्सा देने से मना कर दिया व कहा कि उक्त भूमि में अपीलार्थी का एक बीघा शेष रहता है। तब तहसील संगरिया से अपीलाधीन इन्तकाल की नकल प्राप्त की तब 16.12.23 व 17.12.23 को अवकाश होने के कारण दिनांक 19.12.23 को अपील प्रस्तुत की। ज्ञान होते ही इन्तकाल की नकल प्राप्त करते हुए बिना देरी के अपील प्रस्तुत की गई है। अपने कथनों की ताईद में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए अपील को अंदर मियाद माने जाने का निवेदन किया। अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 538 दिनांक 18-6-2015 तहसीलदार राजस्व द्वारा स्वीकृत इन्तकाल को खारिज फरमाये जाने के आदेश फरमाये जावे व अपीलांट की भूमि पुनः अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाय जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 01, 02 ने अपनी बहस में कथन किये कि अपीलाधीन इंतकाल 538/ दिनांक 18.06.2015 के द्वारा रेस्पोडेन्ट्स 01, 02 की जरिये बैयनामा दिनांक 23.06.1992 प. न. 139[illegible] कृषि भूमि का खाता विभाजन अलग किया गया था। यह नामान्तरण [illegible] कब्जा काश्त और खरीदशुदा भूमि के संबध मे है रेस्पोडे[illegible] किसी भी तरह से खुर्द बुर्द नही कर रहे है और रेस्पोडेन्टस 01, 02 को [illegible] खरीदशुदा भूमि को रहनबैय अंतरण करने का पूर्ण अधिकार है। स्थगन आदेश [illegible] होने पर पुलिस थाना संगरिया में एफआईआर 0011 / दिनांक 06.01.2024 दर्ज करवाकर रेस्पोडेन्ट्स 01, 02 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:13:04 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

कब्जा काश्त की विवादित कृषि भूमि में दखल अंदाजी कर व राजनैतिक दवाब प्रभाव से कब्जा से बेदखल करने की फिराक में है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा दर्ज अपीलाधीन इंतकाल 538/ दिनांक 18.06.2015, रेस्पोडेन्ट्स 01, 02 की जरिये बैयनामा कृषि भूमि का खाता विभाजन के हिसाब से दर्ज किया गया है, जो विधि अनुसार है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट के विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है। अवलोकन में पाया कि–

1. बैयनामा दिनांक 23.06.1992 द्वारा अपीलांट कन्हैया लाल द्वारा अपने नाम रकबा में से चक नं0 06 डीएलपी के खातेदारी रकबा में से पं0 नं0 139/193, मु0नं0 34 किला नं0 02 ता 05 = 1.012 है0 को युनस अली पुत्र हकीम अली व आशिक अली पुत्र सखी उर्फ हकीम जाति मुसलमान साकिन किकरवाली को बैय कर दिया गया। जिसका नामान्तरण 129 दिनांक 03.06.1993 को दर्ज स्वीकार हुआ, जिसका अमद दरामद राजस्व रिकार्ड में हुआ।
2. पश्चातवर्ती जमाबंदी में उक्त किला 2 ता 5, युनस व आशिक अली जाति मुसलमान साकिन किकरवाली के बजाय असगर अली पि0 हकीम अली सा0 किकरवाली के नाम अंकित होना जमाबंदी की वर्ष 2051–2054 में प्रमाणित है।
3. तहसीलदार के नामान्तारण 538 दिनांक 18.06.2015, पूर्व बैयनामा 23.06.1992 एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर पुनः क्रेताओं के वारिसान के नाम करना स्पष्ट है।

उक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं0 538 दिनांक 18.06.2015 सही है, जिसमें कोई अवैधता प्रतीत नहीं होती है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा दर्ज इन्तकाल विधि अनुसार होने के कारण, अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:43:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner